अतिमहत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ–226001

दूरभाष : 0522–262173, 2274250

फैक्स : 0522–2623578, 2615526

पत्र सं0– 2212 / 40(3) / ITMS/SUB CONTRACTOR/2013   दिनॉक : 30 अक्टूबर, 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय : एम0एस0टी0 कार्ड धारकों के एम0एस0टी0 कार्ड न रीड होने पर उन्हें निगम की बसों में यात्रा अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि निगम द्वारा जारी किये गये एम0एस0टी0 पास धारकों के कार्ड ई0टी0एम0 मशीन से रीड नहीं हो पाते है, जिसके कारण परिचालक उनसे पैसा लेकर टिकट निर्गत कर देते है या टिकट न लेने पर उन्हें बस में यात्रा करने से मना कर देते है। इस तरह के कई एम0एस0टी0 पास धारकों ने निगम में लिखित रिपोर्ट परिचालक के विरूद्ध की है। साथ ही परिचालकों का यह कहना है कि उनके ई0टी0एम0 मशीन में एम0एस0टी0 पास रीड नहीं होते है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में पास धारक को टिकट जारी कर उस टिकट का धन लिया जाता है। इस स्थिति से निगम की छवि धूमिल हो रही है। पूर्व से ही ई0टी0एम0 मशीन परिचालकों को देते समय एक अतिरिक्त वेबिल एवं वी0टी0 बुक भी दी जाती है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परिचालक हर कार्ड होल्डर का जिनका कार्ड ई0टी0एम0 मशीन पर रीड नहीं होता है, उनको हर दशा में यात्रा कराएंगे एवं कार्ड न रीड होने पर वेबिल में कार्ड की सूचना निम्न पॉच बिन्दुओं पर अंकित करेंगें :–

कार्ड का कोड	कार्ड धारक का विवरण	यात्रा का विवरण	निर्गत टिकट	अभियुक्ति
पास पर अंकित 16 डिजिट का कोड यहाँ भरा जायेगा। ओपेन इंडेंट कार्ड होने पर ओ.ई. लिखा जायेगा।	यात्री से पूछ कर भरा जायेगा। नाम मो0 न0	प्रारम्भ व गंतव्य का स्थान।	निर्गत टिकट का नम्बर एवं धनराशि।	पास धारक के हस्ताक्षर एवं यात्रा का कारण।

इन यात्रियों को परिचालक द्वारा मार्गपत्र पर यात्रा की सूचना अंकित करने के पश्चात् हर हाल पर यात्रा की सुविधा दी जायेगी। डिपो लौटने के पश्चात् परिचालक मार्गपत्र, ई0टी0एम0 व वी0टी0 बुक समेत निर्धारित स्थान पर जमा करेगा एवं जो नकद धनराशि की कमी जो उनके मार्गपत्र पर होगी, उसे कार्यदाई संस्था को डेबिट किया जायेगा न कि परिचालक को। इस यात्रा की धनराशि ट्राईमैक्स को सूचित कर उनसे धनराशि प्राप्त करेंगें।

Downloaded from www.upsrtc.com

ट्राईमैक्स द्वारा उक्त धनराशि पास धारक के पास से डेबिट कर निगम कोष में केडिट की जायेगी एवं पास धारक को SMS के माध्यम से अवगत कराया जाएगा कि उनके द्वारा की गई यात्रा के टिकट की धनराशि उनके कार्ड से डेबिट कर ली गयी है।

यदि यह पाया जाता है कि परिचालक द्वारा एम0एस0टी0 पास धारक को बस यात्रा कराया गया है एवं मार्गपत्र पर उसको अंकित भी किया गया है और ई0टी0एम0 का कार्ड रीडर सही है ऐसी स्थिति में परिचालक पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी भी परिचालक के विरूद्ध परिवाद आती है कि उसके द्वारा यात्री को मार्ग पर एम0एस0टी0 कार्ड न रीड होना कहकर उतार दिया है तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक सुनिश्चित करेंगें कि परिचालक पर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी एवं उसकी सूचना मासिक तौर पर मुख्यालय एम0आई0एस0 सेल को प्रेषित की जायेगी।

(के.विजयेन्द्र पाण्डियन)
अपर प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u> :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2–सहायक प्रबन्धक, अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3–वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा0 / संचा0 / प्राविधिक), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5–समस्त नोडल अधिकारी, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6–आई0टी0एम0एस0 परियोजना दल, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7–प्रोजेक्ट मैनेजर, ट्राईमैक्स, आई0टी0 इन्फ्राट्रैक्चर लि0 को अनुपालनार्थ।

(के.विजयेन्द्र पाण्डियन)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com